# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 10/2020 अपील
GCMS NO.- 2020/00300

1. श्रीमती गीता पिता भंवरलाल उर्फ भुरालाल पत्नी उंकारलाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा हा0मु0 भानाखेडी तह0 डूंगला जिला चित्तौडगढ़ राज0।
2. श्रीमती सीता पिता भंवरलाल उर्फ भुरालाल पत्नी भूरालाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा हा0मु0 भानाखेडी तह0 डूंगला जिला चित्तौडगढ़ राज0।
3. श्रीमती सुरजबाई पिता भंवरलाल उर्फ भुरालाल पत्नी अर्जुनलाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा हा0मु0 मोठा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0।

– अपीलाण्ट्स

//बनाम//

1. चांदमल पिता भंवरलाल उर्फ भुरालाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
2. गोपाल पिता जगदीशचन्द्र जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
3. नन्दलाल पिता जगदीशचन्द्र जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
4. कमलेश पिता जगदीशचन्द्र जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
5. लक्ष्मी पिता जगदीशचन्द्र जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
6. निर्मला पिता जगदीशचन्द्र जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
7. गीतादेवी पत्नी जगदीशचन्द्र जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
8. तहसीलदार साहब निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0।

– रेस्पोडेण्ट्स

**अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 2677,दिनांक 21.08.2000**

**न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा**

निर्णय दिनांकः— 06.04.2021

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स ने एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त स्वामित्व अधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजियात वाके मौजा निम्बाहेड़ा प0ह0 निम्बाहेड़ा ए तह0 निम्बाहेड़ा की आराजी नं. 1238 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, जिसके नये आराजी नं. 1678 रकबा 1.7800 हैक्टेयर एवं आराजी नं. 1244 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा जिसके नये आराजी नं. 1684 रकबा 0.3400 हैक्टेयर भूमि स्थिति है। उक्त आराजियात अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स की पुश्तैनी पैतृक आराजियात है। जो अपीलाण्ट्स

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.06.17 18:26:09 IST
Reason: SelfAttested

के पिता भंवरलाल उर्फ भुरालाल के जमाने से चली आ रही है भंवरलाल उर्फ भुरालाल के दो पुत्र जगदीशचन्द्र एवं रेस्पोडेन्ट नं. 1 चांदमल एवं तीन पुत्रियां अपीलाण्ट नं. 1 से 3, गीताबाई, सीताबाई, सुरजबाई हुये, जगदीशचन्द्र का देहान्त सन् 2014 में हो गया है जिनके वैध उत्तराधिकारी रेस्पोडेण्ट नं0 2 से 7 उनके पुत्र, पुत्रीयां व बेवा है। उक्त आराजियात अपीलाण्ट्स के पिता भंवरलाल उर्फ भुरालाल पिता चुन्नीलाल के जमाने से चली आ रही है। भंवरलाल उर्फ भुरालाल का देहान्त हो गया है भंवरलाल उर्फ भुरालाल के देहान्त के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बगैर वारिसान की समुचित रुप से जांच किये बगैर नामान्तरण संख्या 2677 भंवरलाल उर्फ भुरालाल के पुत्र जगदीचन्द्र व चांदमल के नाम खोल दिया तथा उक्त नामान्तरण रजिस्टर्ड पर भंवरलाल के विरासत का सजरा बनाते हुये पुत्रीयां नहीं होना बताकर अपीलाण्ट्स के नाम नामान्तरण दर्ज नहीं किया सिर्फ जगदीशचन्द्र व चांदमल के नाम दर्ज कर दिया जबकि अपीलाण्ट्स स्व0 भंवरलाल उर्फ भुरालाल की पुत्रीयां होकर वैध उत्तराधिकारीणी है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा स्व0 भंवरलाल उर्फ भुरालाल के वारीसान की सही रुप से जांच नहीं की तथा बगैर जांच किये अकेले जगदीशचन्द्र एवं चांदमल के नाम नामान्तरण तस्दीक कर खोलना न्याय नियम के सिद्धांत के विपरीत है। स्व0 भंवरलाल उर्फ भुरालाल की मृत्यु के पश्चात अपीलाण्ट नं0 1 से 3 का प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा व रेस्पोडेण्ट नं0 1 का 1/5 हक हिस्सा व रेस्पोडेन्ट्स नं. 2 से 7 के पिता व पति स्व0 जगदीशचन्द्र का 1/5 हक हिस्सा वादग्रस्त आराजियात में निहित था और इसी हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा चांदमल एवं जगदीशचन्द्र ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अकेले अपने को स्व0 भंवरललाल उर्फ भुरालाल का वारिस बता कर नामान्तरण स्वीकृत करा लिया तथा वादग्रस्त आराजियात अकेले अपने नाम पर दर्ज करा ली। जबकि अपीलाण्ट्स नं. 1 से 3 स्व0 भंवरलाल उर्फ भुरालाल की वैध उत्तराधिकारीणी है तथा अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स का वादग्रस्त आराजियात पर संयुक्त रुप से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पुश्तैनी सम्पत्ति जो स्व0 भंवरलाल उर्फ भुरालाल के जमाने से चली आ रही है उनके हक हिस्से पर संयुक्त रुप से अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट्स का कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी सम्पत्ति है तथा बगैर कब्जे की जांच किये जो नामान्तरण तस्दीक किया है वो विधि विरुद्ध होकर निरस्त होने योग्य है। उक्त नामान्तरण की जानकारी पूर्व में अपीलाण्ट्स को नहीं थी। अपीलाण्ट्स दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र की महिला है तथा पहली बार अपीलाण्ट्स को लोन लेने हेतु खाते की नकल लेने गई तो उक्त नामान्तरण की जानकारी हुई। जानकारी होते ही यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अन्दर मियाद हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार फरमाई जावें तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा का निर्णय निरस्त किया जाकर वादग्रस्त आराजियात पर अपीलाण्ट्स का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.06.17 18:26:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोण्डेण्ट्स संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

Web Copy - Not Official

कुमार वैष्णव ने वकालतनामा प्रस्तुत किया परन्तु अवसर दिये जाने के उपरान्त भी धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब बन्द किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में अपील मेमो के तथ्यों को दोहराया है तथा अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने अपनी बहस में अपीलाण्ट्स को भंवरलाल उर्फ भुरालाल की पुत्रीयां होना स्वीकार किया है तथा शेष कथनों को अस्वीकार किया है।

बहस पर मनन किया गया। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अपीलाण्ट्स ने अपनी अपील के समर्थन में मौजा निम्बाहेड़ा की नामान्तरकरण संख्या 2677 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। अपील अन्दर मियाद हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलाण्ट्स दूरस्थ ग्रामीण क्षैत्र के कम पढ़े लिखे किसान है जिन्हें कानूनी बारिकीयों एवं राजस्व रेकार्ड में फेर बदल की पूर्ण जानकारी नहीं होना स्वीकार योग्य तर्क है। अतः अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलाण्ट्स स्वयं को भंवरलाल उर्फ भुरालाल की पुत्रीयां बताती है। रेस्पोडेण्ट्स के अधिवक्ता ने भी अपीलाण्ट्स को भंवरलाल उर्फ भुरालाल की पुत्रीयां होना स्वीकार किया है। अपीलाण्ट्स अपना विवादित भूमि में भंवरलाल उर्फ भुरालाल के हिस्से में से प्रत्येक का 1/5 हिस्से पर अपना कब्जा काश्त बताते है। प्रश्नगत नामान्तरकरण भंवरलाल की विरासत का इन्तकाल है। प्रश्नगत इन्तकाल में भंवरलाल के पुत्र जगदीशचन्द्र एवं चांदमल को सजरे में दर्शाया गया है। अपीलाण्ट्स के भंवरलाल की पुत्रीयां होने की स्थिति में एवं मौके पर कब्जा होने की स्थिति में भंवरलाल की विरासत का निर्धारण करते हुए उनको सुनवाई का अवसर दिया जाना और पर्याप्त जांच किया जाना आवश्यक था जिसका वर्तमान प्रकरण में अभाव प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण होने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार कि जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 2677 दिनांक 21.08.2000 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार निम्बाहेड़ा को रिमाण्ड कर आदेश दिया जाता है कि मृतक भंवरलाल के वारिसान की पूर्ण जांच करते हुए, सभी प्रभावित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर एवं मौके तथा कब्जे की पूर्ण जांच करते हुए भंवरलाल की विरासत का निर्धारण किया जाकर नामान्तरकरण निर्णित किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.06.17 18:26:09 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official